

सत्र परीक्षण सं० 356/2023 एवं
सत्र परीक्षण सं० 1028/2022
सरकार बनाम सुनीता देवी आदि
धारा-498A, 304 भा.द.सं.
एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना-लोनी बार्डर, जिला गाजियाबाद।

23.08.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त अजय कुमार को जिला कारागार से पेश किया गया। अभियुक्तगण श्रीमती सुनीता देवी व विजय जरे जमानत हैं। अभियोजन सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) द्वारा साक्षी पी.डब्लू. 2 को पेश किया गया तथा साक्षी पी.डब्लू. 2 के बयान अंकित किये गये।

पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य दिनांक 08.09.2023 को पेश हो। साक्षी जरिये समन नियत तिथि के लिये तलब हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-18, गाजियाबाद।